प्ररूप--ख
[नियम 6 (2) देखिये]

वृक्षों के पंजीयन हेतु पंजी

	तहसील	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों का विवरण				रोपित पौधों / वृक्षों का विवरण				
						प्रजाति	संख्या		भौतिक स्थिति (उंचाई एवं गोलाई)	प्रजाति	संख्या		भौतिक स्थिति (उंचाई एवं गोलाई)	वृक्षारोपण की शासकीय योजना का नाम
							अंकों में	शब्दों में			अंकों में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	मगरलोड	19	परसवानी	1398/1	0.06 हे0	सिरसा कदम	1 1	एक	20 फीट 15 फीट	सिरसा कदम	1 1	एक एक	20 फीट 15 फीट	✓

प्ररूप--ग
[नियम 7 (1) देखिये]

वृक्ष कटाई हेतु आवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग....कुरुद....जिला....धमतरी....छ.ग.

विषय:— वृक्ष कटाई हेतु आवेदन ।

तहसील....मगरलोड....प.ह.नं. ....19.... ग्राम....परसवानी....में स्थित मेरे हक एवं आधिपत्य के भूमि खसरा कमांक....1398/1.... रकबा....0.06 हे0....के विषय में विवरण निम्नानुसार है:—

(क) खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या....दो....

(ख) खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या ....दो....

(ग) पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा दिनांक.................... को दी गई थी।

(घ) खाते पर सहखातेदारों का नाम....नवलूराम साहू....

उक्त वृक्षों में से मुझे कुल....2 दो....(शब्दो में....दो....) वृक्ष कटाई करवानी है, प्रजाति एवं संख्या सहित जिन्हें काटने का कारण निम्नानुसार है:—

(क) खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति....सिरसा, कदम, 20 फीट ऊंचाई, 15 फीट ऊंचाई,....

(ख) खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति....सिरसा, कदम....

(ग) कृषि एवं व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति....

(घ) अन्य कारण ....मकान को नुकसान हेतु....

कृपया उपरोक्त दर्शित वृक्षों की कटाई की अनुशंसा प्रदान करने का कष्ट करें।

भूमिस्वामी का नाम नथलूराम साहू

दिनांक सहित हस्ताक्षर नथलूराम

संलग्नः–

1. बी–1 / खसरा
2. सहखातेदारों की सहमति का शपथ पत्र
3. बैंक खाता का विवरण
4. रोपण के भूखण्ड की चारो दिशाओं से लिए गये 4 फोटोग्राफ

पावती

नथलूराम साहू पिता / पति श्री सरजूराम साहू निवासी परसवानी तह मगारलोड से दिनांक 1-07-2024 को आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।

(प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

(कार्यालय की सील)

नथलूराम

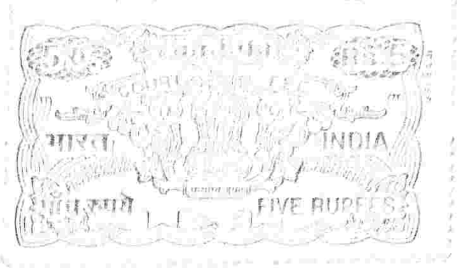

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व)
तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

विषयः–मकान से लगे वृक्ष को काटने की अनुमति प्रदान करने बाबत्

महोदय जी,

सादर निवेदन है कि मैं आवेदक नथलूराम साहू पिता श्री सरजू साहू ग्राम परसवानी पोष्ट मगरलोड तहसील मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.) का निवासी एवं कृषक हूं। उक्त ग्राम में मेरे निजी कृषि भूमि ख.नं. 1398/1 रकबा 0.060 हे. में मेरा स्वयं का मकान मुख्य मार्ग के सामने 40 फुट अंदर स्थित है तथा मेरे मकान से लगा दो वृक्ष (1 सिरसा एवं 1 कदम) है जो कि मेरे मकान को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि वृक्ष को नही काटा जाता है तो मेरे मकान को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे मकान से लगे दोनो वृक्ष (1 सिरसा एवं 1 कदम) को कांटने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

दिनांकः–01/01/2024

आवेदक

नथलूराम

कार्यालय तहसीलदार मगरलोड जिला धमतरी छ0ग0

//ज्ञापन//

01/तह/वाचक–1./2024 मगरलोड दिनांक 19.2.24

1 वन परिक्षेत्र अधिकारी, मगरलोड

2 राजस्व निरीक्षक, रानिम–मगरलोड़

विषयः– संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

:::::000:::::

विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक नथलूराम पिता सरजूराम साहू निवासी ग्राम–परसवानी, तहसील–मगरलोड द्वारा ग्राम परसवानी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1398/1 रकबा 0.06 हे. में स्थित 02 नग वृक्ष, 01 नग सिरसा और 01 नग कदम वृक्ष कटाई बाबत् छ0ग0 भू0संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत निर्मित नियमो के प्रावधानुसार अनुमति हेतु आवेदन माननीय अविअ के समक्ष पेश होने पर इस न्यायालय को जांच हेतु प्राप्त हुआ है।

अतएव वृक्ष काटने संबंधी छ0ग0भू0रा0स0 1959 की धारा 240, 241 के तहत एवं इस हेतु निर्मित नियमों के तहत प्रावधानुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन 05 दिवस के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे ताकी प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

तहसीलदार
मगरलोड

तहसीलदार
मगरलोड जि. धमतरी (छ.ग.)

पृ. कमांक/ /तह/वाचक–1/2024 मगरलोड दिनांक.........

प्रतिलिपि :–

1/ अनुविभागीय अधिकारी(रा) कुरूद को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2/ आवेदक नथलूराम पिता सरजूराम निवासी–परसवानी को सूचनार्थ।

तहसीलदार
मगरलोड

तहसीलदार
मगरलोड जि. धमतरी (छ.ग.)

6/C

नथलूराम

पंचनामा

ग्राम - परसवानी प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. मेघा तह. मगरलोड जिला धमतरी के अन्तर्गत ग्राम परसवानी निवासी आवेदक नथलू राम पिता परसूराम जाति तेली के द्वारा तहसील मगरलोड में, ग्राम परसवानी में स्थित लगानी भूमि खसरा नम्बर 1398/1 रकबा 0.06 हे. भूमि में स्थित 02 नग वृक्ष एक नग सिरसा, एक नग कदम, मकान से लगा हुआ है। जो कि भविष्य में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिसे काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त आवेदन के संबंध में न्या. तहसीलदार मगरलोड के ज्ञापन क्रमांक 153/तह./वाचक 02/2024 दिनांक 05.12.2024 के आदेशानुसार, आदेश के परिपालन में वन विभाग के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी उपवन क्षेत्रपाल, वनपाल परिसर रक्षी, मैं स्वयं (पटवारी ह.नं. 19) तथा आवेदक एवं मौका जांच स्थल पर उपस्थित पंचगणो के समक्ष जांच किया गया। जांच के दौरान 02 नग वृक्ष, एक नग सिरसा जिसकी गोलाई 184 से.मी., एक नग कदम जिसकी गोलाई 120 से.मी. जो कि निजी भूमि खसरा नम्बर 1398/1 रकबा 0.06 हे. में मकान (काम्प्लेक्स) के नजदीक होने के कारण मकान (काम्प्लेक्स) पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस कारण वृक्ष की कटाई करना उचित है।

अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

पंचनामा पढ़ सुन हस्ताक्षर किया गया।

[signature]
सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
मगरलोड

नथलूराम

[signature] प.ह.19

बिसरीलाल — कुसुम लता कोटवार

रुकुमणबाई पटेल

यशवंत राव

कल्याणी राम

तहसीलदार महोदय
तहसील मगरलोड
जिला धमतरी

विषय:- सयुंक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 153/तह/वाचक-02/2024 मगरलोड दिनांक 04/12/2024।एवं अ०वि०अ० महो०का पत्र क्रमांक अ०वि०अ०/वा -1 / 2024 कुरूद दिनांक 17/01/2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तार्गत लेख है की आवेदक एवं निवासी नथलूराम पिता सरजूराम जाति तेली ग्राम परसवानी प०ह०नं० 19 तहसील मगरलोड द्वारा ग्राम परसवानी स्थित अपने कास्तकाबिज भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0.06 हे० पर निर्मित मकान(काम्प्लेक्स) के समीप स्थित 02 नाग वृक्ष एक नग सिरसा व एक नग कदमका,जो भविष्य में पूर्णरूप से उसके मकान(काम्प्लेक्स) को क्षतिग्रस्त कर सकता है जिसे काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु मान. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कुरूद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त विषय पर आपके कार्यालय से सयुंक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जारी ज्ञापन क्रमांक 153 /तह/वाचक/-2 /2024 मगरलोड दिनांक 04/12/2024 के परिपालन में आवेदक ,वनविभाग के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ,उप वनक्षेत्रपाल ,परिसर रक्षी एवं उपस्थित पंचगणों की उपस्थिति में मौका जांच किया गया।जांच उपरांत पाया गया की आवेदक की आवेदित भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0.06 हे० पर 02 नग वृक्ष एक नग सिरसा वृक्ष जिसकी छाती गोलाई 184 से.मी. व एक नग कदम वृक्ष जिसकी छाती गोलाई 120 से.मी. है मकान(काम्प्लेक्स) से लगा हुआ है ,जो भविष्य में पूर्णरूप से उसके मकान को एवं जान माल को क्षतिग्रस्त कर सकता है इस कारण दोनों वृक्षो की कटाई करना उचित प्रतीत होता है।

अत: जांच प्रतिवेदन आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न

① पंचनामा
② आदेश की छाया प्रति।
③ पूर्व पंचनामा की छाया प्रति।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक / राजस्व II / आर / 3581 धमतरी, दिनांक :– 27 / 06 / 2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुरूद
जिला–धमतरी

विषय :– जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक / 169 / अ.वि.अ. / वा.–1 / 2024 दिनांक 17.01.2024

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र के अनुसार आवेदक नथलू राम पिता सरजू राम साहू निवासी ग्राम–परसवानी, तहसील–मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा ग्राम परसवानी, तहसील–मगरलोड स्थित अपने निजी भूमि प.ह.न. 19 खसरा नंबर 1398 / 1 रकबा 0.06 हे. मे स्थित 02 नग वृक्ष 01 नग सिरसा एवं 01 नग कदम वृक्ष की कटाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर के पत्र क्रमांक / उत्तर सिंगपुर / मोंहदी / 612 दिनांक 25.04.2024 एवं संयुक्त वनमंडलाधिकारी धमतरी उप वनमंडल धमतरी के पृष्ठांकन क्रमांक / सा. / 1072 दिनांक 01.05.2024 के अनुसार राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौका सत्यापन स्थल निरीक्षण कर पंचनामा लिया एवं वृक्ष का मार्किंग कर फार्म फेक्टर गणना पत्रक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदक द्वारा वर्ष 2001–02 मे सड़क किनारे वृक्षारोपण में सिरसा एवं कदम के पौधा वृक्षारोपण किया गया था चुंकि उक्त वृक्ष अब बड़ा हो गया हैं तथा मकान / काम्प्लेक्स के नजदीक होने के कारण किसी भी समय मकान एवं जान–माल को क्षति पहुंचने की संभावना है, जिसे कटाई करना चाहता है। जिसका मार्किंग कर मय गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। फार्म फेक्टर गणना पत्रक अनुसार निम्नानुसार अनुमानित लकड़ी प्राप्त होगा:–

क्र.	वृक्ष संख्या	अनुमानित उत्पादन		योग (घ.मी.)
		ईमारती (घ.मी.)	जलाऊ (घ.मी.)	
1	02	1.00	1.600	2.600

अतः 02 नग वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जाती है।

1988 **संलग्नः– संयुक्त स्थल सत्यापन प्रतिवेदन मार्किंग रिकार्ड मय फार्म फेक्टर गणना पत्रक**

वनमण्डलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल, धमतरी

D:\Revenue II\malik makbuja\MEMO D.M.ज्प 2018.19ण्कवबग

मौका पंचनामा   स्थान - परसवानी
                              दिनांक - 12/03/2024

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता गण तस्दिक करते है कि आज दिनांक 12/03/2024 समय 11:30 AM बजे हम पंचगणो की उपस्थिती मे वन विभाग के अधिकारी परिक्षेत्र सहायक श्री एल. लहरे उपवनक्षेत्रपाल, श्री रामगुलाल साहू वनपाल परिसर रक्षी रेंगाडीह एवं अन्य विभागिय अमलो के साथ, नथलु राम पिता सरजु राम साहु ग्राम परसवानी (आवेदक) के आवेदन अनुसार मौका जांच हेतु मौका स्थल मे उपस्थित हम पंचगणो के समक्ष जांच किया। जांच के दौरान 1 नग सिरसा वृक्ष गोलाई 184 सेमी एवं 1 नग करम्बा वृक्ष गोलाई 120 सेमी. जो कि निजि भूमी खसरा क्र. 1398/01 रकबा 0.06 हेक्टर मे मकान (कॉम्पलेक्स) के नजदिक होने के कारण मकान क्षति होने की स्थिती मे है जिसके कारण से उक्त वृक्षो की कटाई करना अत्यंत आवश्यक है जिससे मकान क्षति होने से बच जाये। उक्त वृक्ष नथलु राम साहु के निजि भूमी के समीप है। मौका जांच के दौरान पटवारी प.ह.नं. 19 पटवारी उपस्थित रहे। जिसके साथ सामूहिक मौका जांच किया गया।

यही हम पंचगणो का सही - सही पंचनामा दर्ज करा दिया, पंचनामा पढ़ा सुना एवं पढ़कर सुनाया सही पाकर हस्ताक्षर किया, सनद रहे वक्त जरुरत पर काम आवें।

उपस्थित पंचगणो का नाम व पता	पंचगणो का हस्ताक्षर
① बिहारी राम व. डेरहा राम पटेल परसवानी	बिहारीलाल
② राजेन्द्र राम व. भैयाराम साहु परसवानी	राजेन्द्र प्रसाद साहु
③ दिलिप व. स्व. गणेशु राम यादव परसवानी	दिलीप यादव
④ तुलसीराम व. चैतुराम बंजारे परसवानी	[illegible]
⑤ साहिल रविकुमार व. हेमंत कुमार पटेल परसवानी	Ravikumar
⑥ पटवारी ग्राम पंचायत परसवानी प.ह.नं. -19	[illegible] प.ह.-19

R. Sahu
परिसर रक्षी
रेंगाडीह

[signature]
सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
मगरलोड

मार्किंग रिकार्ड बुक

कूप के लिए

२	छाती गोलाई (१-३५) मीटर पर ३	हालात कामी या जलाऊ ४	पातन नम्बर ५	विवरण ६	मार्किंग नम्बर (हाथ से) १	प्रजाति २	छाती गोलाई (१-३५) मीटर पर ३	हालात कामी या जलाऊ ४	पातन नम्बर ५	विवरण ६

नथ्थूराम / लटकूराम साकिन ग्राम परसापानी -

1 सिरस 184 CM

2 करंज 120 cm

गोलाईवार घन मीटर — अनुमानित

			इमारती	जलाऊ		इमारती	जलाऊ
प्रजाति 91/120	करंज —	01 =	0.200	0.400		0.200	0.400
180 से ऊपर	सिरस —	01 =	0.800	1.200		0.800	1.200
योग =		02 =				1.000	1.600

इमारती लकड़ी 1.000 Cmt

जलाऊ चट्टा 1.600 Cmt = 1 चट्टा

R. Sahu
परिसर रक्षी
[illegible]

[signature]
सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
बगरलोड

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कुरूद, जिला–धमतरी(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 738 /अविअ/वा.–1/2025 कुरूद, दिनांक 27/03/2025

इस न्यायालय के रा.प्र.क. 202503130500030/अ–62/2024–25 में पारित आदेश दिनांक 26/03/2025 के अनुसार वन विभाग एवं राजस्व विभाग के जांच प्रतिवेदन में आवेदक नथलू राम पिता सरजू राम साहू, जाति तेली, ग्राम परसवानी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा काश्तग्राम परसवानी, तहसील मगरलोड स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0.06 हे. में स्थित 02 नग सिरसा एवं कदम वृक्ष को छ.ग.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत कांटने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा :–

1–वृक्ष की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कटाई जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जावेगा।

2–वन मण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों को जो शासन के स्वामित्व की है, के कलेवरों की नीलामी कराकर प्राप्त प्रतिफल की राशि का नियमानुसार शासकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

3–कांटे गये प्रत्येक एक–एक वृक्षों के बदले 10–10 वृक्ष (कम से कम 4 फीट की उंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष कांटी जावेगी के नजदीक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा, यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नहीं मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

4– अनुमति दिनांक से वन विभाग अपने सुपुर्द में लेकर तत्काल आगामी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि अनुमति पश्चात् वृक्षों का अवैध विदोहन न हो सके।

5–यदि 02 नग वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की जाती है तो उनके विरूद्ध इस कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सके।

(यह अनुमति प्रचलित परिपत्र एवं शासन के वर्तमान निर्देश के परिपालन में दी जाती है।)

(मुहर: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरूद जि. धमतरी (छ.ग.))

Nabh

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुरूद, जिला धमतरी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ० क्रमांक/ 738 /अविअ/वा.–1/2025 कुरूद, दिनांक 27/03/2025

प्रतिलिपि:–

1. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी को आदेश तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित्।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
3. सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, मगरलोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार मगरलोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
5. आवेदक नथलू राम पिता सरजू राम साहू, जाति तेली, ग्राम परसवानी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Nabh

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
कुरूद, जिला धमतरी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति--पत्र

रा.प्र.क्रं. 202503/36500030 /अ--62/2024--25

ग्राम--परसवानी, तहसील--मगरलोड

01	02	03
26/03/2025	–प्रकरण प्रस्तुत। –प्रकरण का अवलोकन किया। –तहसीलदार मगरलोड का ज्ञापन कमांक/20/तह./वा. 1/2018 मगरलोड, दिनांक 06/01/2025 के अनुसार आवेदक नथलू राम पिता सरजूराम साहू, जाति तेली, ग्राम–परसवानी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा काश्तग्राम–परसवानी पहनं.19 तहसील मगरलोड, जिला धमतरी स्थित भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0.06 हे. में 02 नग सिरसा एवं कदम वृक्ष है, जो मकान के नजदीक स्थित होने से भविष्य में क्षतिग्रस्त होने की संभावना होने से काटने की अनुमति मांग की गई है। –प्रकरण में राजस्व विभाग एवं वन विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो संलग्न है। आवेदक नथलू राम पिता सरजूराम साहू, ग्राम परसवानी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी द्वारा काश्तग्राम परसवानी पहनं. 19 तहसील मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0.06 हे. में 02 नग सिरसा एवं कदम वृक्ष शुष्क अवस्था में पाया गया है, जिसे कटाई करने अनुशंसा सहित प्रतिवेदित किया गया है। अतः तहसीलदार मगरलोड के पत्र दिनांक 06/01/2025 से सहमत होते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 बिन्दु कमांक 7 एवं 8 में बिन्दु कमांक 7 के कंडिका (3) एक कैलेण्डर वर्ष में, एक खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सुनवाई उपरांत आवेदक नथलूराम पिता सरजूराम साहू, जाति तेली, ग्राम परसवानी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी छ.ग. के भूमिस्वामी हक काश्तग्राम परसवानी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी स्थित स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0.06 हे. पर स्थित 02 नग सिरसा एवं कदम वृक्ष को छ.ग.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 एवं इस हेतु निर्मित नियम वृक्ष कटाई के नियम 2022 कहलायेंगे के तहत् लोकहित में कटाई किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन होगाः– 1– वन विभाग से कटाई के पूर्व वृक्षों का विधिवत् चिन्हांकन कराना होगा। 2– ईमारती/विनिर्दिष्ट प्रजाति के वृक्ष, जो निजी भूमि पर स्थित है, की कटाई–परिवहन एवं विकय वन विभाग के	

माध्यम से नियमानुसार कराना होगा।

3– वन विभाग द्वारा काटे गये वृक्ष का दस गुणा अर्थात् 20 वृक्ष भूमि में रोपण करना होगा।

तद्नुसार पृथक से आदेश तैयार कर सर्व संबंधितों को भेजे जावे। तदोपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। प्रकरण अभिलेख कोष्ठ भेजी जावे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ... धमतरी (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)